केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के बगल में, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन–अम्बली रोड, बोदकदेव, अम्बली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत
फोन नं.: +91 22 61796400 ई–मेलः contact@kifshousing.com
वेबसाइटः www.kifshousing.com
सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079 आरबीआई कोरः डीओआर–00145

भौतिक कब्जे की सूचना

श्री राजवंशी यादव (उधारकर्ता)
श्रीमती बिमल देवी (सह–उधारकर्ता)
वर्तमान पताः 863/55, लेखू नगर आर्य समाज मंदिर, लैंडमार्क आर्य समाज मंदिर, तृतीय नगर उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली–110035
स्थायी पताः एच नं. 217, गांव महुआ ऐकदरा, लैंडमार्क मंदिरपोस्ट कुवाध, मधुबनी मधुबनी बिहार–847211
जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.01.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें आपसे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपने ऋण खाता संख्या LNHEDEL008296 के विरुद्ध नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 32,30,809/– (रुपये बत्तीस लाख तीस हजार आठ सौ नौ मात्र)** चुकाने का आह्वान किया है।

आप, राशि वापस करने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा आपको और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ इस वर्ष **24 जून 2024** को केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बंधक रखी गई है।

आपको विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 32,30,809/– रुपये (बत्तीस लाख तीस हजार आठ सौ नौ रुपये मात्र) की राशि के लिए प्रभारित किया जाएगा, जो 20 दिसंबर, 2023 तक देय है, जिसमें 21 दिसंबर, 2023 से भुगतान तक ब्याज भी शामिल है।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, खसरा नंबर 512/2, मलिक सिटी कॉलोनी, फेज–2, मदीना गार्डन, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 पर स्थित मकान। बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्वः जाहिद का मकान, पश्चिमः विमल देवी का प्लॉट, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क साइट के अनुसारः पूर्वः जाहिद का मकान, पश्चिमः विमल देवी का प्लॉट, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क

स्थानः गाजियाबाद **हस्ता/– अधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 24.06.2024 **केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कंपनी आवेदन संख्या सी.ए.(सीएए)/5/चंडीगढ़/हरियाणा/2024
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत आवेदन के मामले में और
सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीट्ज ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में।

सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U74899HR1975PTC107706], कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है, और इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 पर है
आवेदक कंपनी 1 / विभाजित कंपनी

सीट्ज ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U29300HR2023PTC117048], एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 पर है
आवेदक कंपनी 2 / परिणामी कंपनी

सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक की सूचना और विज्ञापन

सूचित किया जाता है कि 31 मई, 2024 के आदेश द्वारा, कंपनी आवेदन **संख्या सी.ए.(सीएए)/5/चंडीगढ़/हरियाणा/2024** (आदेश) में, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच (एनसीएलटी / न्यायाधिकरण) ने अन्य बातों के साथ-साथ सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1 / विभाजित कंपनी /एसटीआई) के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीट्ज ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2 / परिणामी कंपनी / एसएटीपीएल) (सामूहिक रूप से आवेदक कंपनियों के रूप में संदर्भित) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच प्रस्तावित व्यवस्था की योजना (योजना) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन करना है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 230 से 232 और किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लिखित तिथि और समय पर है, जैसा कि आदेश में दिया गया है।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह सूचना दी जाती है कि आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें, नीचे उल्लिखित समय पर, डिलाइट सरोवर पोर्टिको, प्लॉट संख्या 17-18, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा - 121 001 में आयोजित की जाएगी। आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे संबंधित बैठकों में भाग लें। ये बैठकें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में होंगी:

कंपनी का नाम	बैठकों	बैठकों की तिथि व समय	मोड
सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सुरक्षित लेनदार	शनिवार, 27 जुलाई, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी)	रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ भौतिक बैठक
सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	असुरक्षित लेनदार	शनिवार, 27 जुलाई, 2024 को दोपहर 12:30 (आईएसटी)	रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ भौतिक बैठक

धारा 102 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230(3) के तहत व्यवस्था की योजना, नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण की प्रति, कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम 2016 के नियम 6 और उसमें संशोधन (सीएए नियम), और इसके अनुलग्नक आवेदक कंपनी 1 की वेबसाइट https://sietz-india.com/ और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से प्राप्त और डाउनलोड किए जा सकते हैं, और इसके अलावा आवेदक कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 में बैठक से पहले किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच सभी दिनों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंधित बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार व्यक्ति या तो रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके मतदान कर सकता है या बैठक के दौरान बैलट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकता है।

न्यायाधिकरण ने श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता को अध्यक्ष, सुश्री वेदिका गांधी, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री कंवलजीत सिंह, कंपनी सचिव को सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों की बैठकों के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया है, जिसमें एनसीएलटी के आदेश के अनुसार किसी भी स्थगन के लिए भी शामिल है। यदि उक्त बैठक में योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो वह न्यायाधिकरण की बाद की मंजूरी के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि:

1) आदेश के अनुपालन में, उपरोक्त बैठकों के लिए नोटिस में निर्धारित विषय को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से तथा बैठक के दौरान बैलट पेपर से मतदान की सुविधा के साथ किया जाएगा। आवेदक कंपनी 1, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए आवश्यक निर्देश 20 जून, 2024 के नोटिस में दिए गए हैं। यह सुविधा आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों को कट-ऑफ तिथि अर्थात 30 नवंबर, 2023 को प्रदान की जा रही है।

2) एसटीआई ने 24 जून, 2024 तक सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य अनुलग्नकों को संबंधित सुरक्षित लेनदारों तथा असुरक्षित लेनदारों को 30 नवंबर, 2023 तक ईमेल/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने का कार्य पूरा कर लिया है। एसटीआई के पात्र सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार बैठकों में मतदान करने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति/संस्था जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार एसटीआई का पात्र सुरक्षित लेनदार या असुरक्षित लेनदार नहीं है, उसे उक्त बैठकों की सूचना को केवल सूचना के लिए लेना चाहिए।

3) सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की उक्त बैठकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सुरक्षित लेनदार और/या असुरक्षित लेनदार द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मामले पर वोट डाला जाता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने से सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार बैठकों में भाग लेने से वंचित नहीं होते हैं। हालांकि, जो लोग बैठकों की तिथि से पहले ही वोट कर चुके हैं, वे बैठकों में वोट करने के हकदार नहीं होंगे। बैठकों में वोट डाले जा सकते हैं और जिन्होंने बैठकों से पहले अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठकों में वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

4) बैठकों के संवीक्षक प्रस्तावों के पक्ष में और खिलाफ डाले गए कुल वोटों और अमान्य वोटों, यदि कोई हो, की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट बनाकर बैठकों के अध्यक्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

5) आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों को कट-ऑफ तिथि के अनुसार अपनी-अपनी बैठकों में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आवेदक कंपनी 1 का सुरक्षित लेनदार और/या असुरक्षित लेनदार कोई कॉर्पोरेट/कॉर्पोरेट निकाय है, तो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठकों में भाग लेने के हकदार हैं। ऐसे कॉर्पोरेट लेनदारों को compliances@sietz-india.com पर ईमेल के माध्यम से या आवेदक कंपनी 1 के पंजीकृत कार्यालय में जमा करके बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजनी होगी, जो ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करती है और अधिकृत प्रतिनिधि की आईडी उक्त बैठकों के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करती है।

रिमोट ई-वोटिंग और बैठकों के दौरान ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, आवेदक कंपनी 1 के सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार एनएसडीएल को 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

Sd/-
दिनांक: 25 जून, 2024 **राजीव खन्ना,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
स्थान: फरीदाबाद सीट्ज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002,
फोनः +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

[नियम 8(1) देखें] कब्जे की सूचना [अचल सम्पत्तियों हेतु]

जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक को एक माँग नोटिस जारी करके नीचे वर्णित ऋणियों/सह-ऋणियों को नोटिस में वर्णित राशि उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों/सह-ऋणियों/ बंधककर्ताओं/ जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों का कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के निम्न वर्णित रूपयों + अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणियों/सह-ऋणीयों के नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना दिनांक कब्जे की दिनांक	बकाया राशि
1.	ऋणी- रमेश पुत्र इन्दर गिरी और अंजली पत्नी रमेश (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें प्लॉट नंबर 59, खसरा नंबर 422ख, 540, 541क, 542, 641 एवं 642 जो राजस्व ग्राम बटजेवरा (गार्डन सिटी) परगना दौराला, तहसील सरधाना, जिला मेरठ, उत्तरप्रदेश 250002 में स्थित है।	14.07.2021 22-06-2024	रू. 4,01,965/- (रूपये चार लाख एक हजार नौ सौ पैंसठ मात्र) दिनांक 30 जून, 2021 तक
2.	ऋणी- अनुराग जॉन पुत्र अनिल एडगर जॉन और मोनिका शर्मा पत्नी अनुराग जॉन (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो 'फ्लैट नंबर-307, तीसरी मंजिल, सुधा होम्स, प्लॉट नंबर-87, खसरा नंबर-160ए, वेलकम सिटी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, गांव- शाहबेरी, गौड चौक, दादरी, जीबी नगर, उत्तरप्रदेश 201009 भारत' में स्थित है।	10.10.2022 24-06-2024	रूपये 12,08,498/- (रूपये बारह लाख आठ हजार चार सौ अट्ठानबे मात्र) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 तक

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांकः 25.06.2024 स्थानः दिल्ली एनसीआर डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

कब्जा सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तारीख	संपत्ति(यों) का विवरण और कब्जे की तारीख	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.मे)
1.राजिंदर कुमार, 2. मंजू, 2. राहुल आनंद सभी का पता प्रॉपर्टी नंबर 8636, ब्लॉक बी या 67 खसरा नंबर 1185, बाग राव जी, रोहतक रोड, किशन, नई दिल्ली – 110080 पर है। डिमांड नोटिस की तारीखः 24 नवंबर 2022 लोन अकाउंट नंबर 13100002050DH (PR00686895)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें बिल्ट अप प्रॉपर्टी नंबर 8636 है, ब्लॉक बी या 67 खसरा नंबर 118/5 में फ्रीहोल्ड बिल्ट अप प्रॉपर्टी का पूरा तीसरा फ्लोर जिसमें छत के अधिकार और ऊपर है, जिसका माप लगभग 178 वर्ग मीटर है। टीडीएस बाग राव जी, न्यू रो. हतक रोड, किशन गंज, नई दिल्ली में स्थित कब्जे की तिथिः 20 जून, 2024	**21 नवंबर 2022 तक रु.2888925/– (अट्ठाईस लाख अठासी हजार नौ सौ पच्चीस रुपये मात्र)**

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान – नई दिल्ली **हस्ता/–(प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांक – 26–06–2024 **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।**

APRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : 502, टॉवर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013
परिमंडल कार्यालय का पता : 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की हैं, जिनमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) (''उक्त ऋणकर्ता(ओं'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राशियों का, जो नीचे तालिका में भी दी गई हैं, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, यहां इसमें निम्नांकित राशियों का निम्न अंकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक राशियों पर आकलित भावी लागूयोग्य ब्याज के साथ सीजीएचएफएल को भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सीजीएचएफएल के पास क्रमशः बंधककृत रखा गया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	**(ऋण खाता संख्या LNHLMAY000010371 (पुराना) 51200000822554 (नया) (मयूर विहार शाखा)** इंद्रजीत कुमार (ऋणकर्ता) श्रीमती रीना कुमार (सह–ऋणकर्ता)	**19–जून–24 रु. 971109**	डीडीए फ्लैट संख्या 31 धारक स्वामित्वधारक / आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो द्वितीय तल, पॉकेट 3 ब्लॉक एफ–8, सेक्टर जी–8, नरेला, उत्तर–पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110040 में स्थित है, जिसका अवस्तंभ क्षेत्रफल (सामान्य क्षेत्र सहित) 33.25 वर्ग मीटर, कॉरपेट एरिया 25.30 वर्ग मीटर है।
2.	**ऋण खाता संख्या LNHLGUR000008610 (पुराना) 51200000732579 (नया) (गुड़गांव शाखा) मुकेश कुमार (ऋणकर्ता)** श्रीमती कौशल्या (सह–ऋणकर्ता)	**19–जून–24 रु. 125994**	सं. बी–105 धारक फ्लैट के रूप में विद्यमान भूमि धारक संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो टॉवर नं. बी, प्रथम तल, क्षेत्रफल लगभग 550 वर्ग फुट, तिजारा होम्स के रूप में विदित परियोजना, चंदर लोक सिटी, खसरा नंबर 188, 189, (16744.40 वर्ग गज) में स्थित, ग्राम बलियावास (नगर पालिका तिजारा) तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान – 301411 में स्थित है।

यदि उक्त ऋणकर्तागण उपर्युक्तानुसार सीजीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे तो सीजीएचएफएल लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिमों पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागूयोग्य नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिसंपत्तियों का सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान : दिल्ली, अलवर / दिनांक : 26–06–2024 हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी), **कृते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)**

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

अधिग्रहण सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिन्हें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्तागण राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं के नाम एवं पते तथा मांग सूचना की तिथि	संपत्ति(यों) का विवरण तथा अधिग्रहण की तिथि	अधिग्रहण सूचना में मांगकृत राशि (रु.)
1. शिव डाई कटर और धर्म ज्वेलर्स, पताः सेवा राम हलवाई वाली गली, सुभाष बाजार, हलवाई हट्टा के पास, पानीपत, हरियाणा– 132103., 2. धर्मवीर वर्मा, 3. ऊषा वर्मा, नंबर 2 और नंबर 3 का पता : मकान नं. 25, महून मोहल्ला, हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नंबर 11, करनाल, हरियाणा– 132114 और 4. शिव राज वर्मा, जिनका पता, मकान नंबर 799/8, नवीन रमेश नगर, तहसील कैंप, पानीपत, हरियाणा– 132103 में स्थित। मांग सूचना तिथि : 9 जुलाई 2021 ऋण संख्या 4021060000025933–सी (पीआर00711061), एमई2805–सी (पीआर00721295) और एमई25019 (पीआर00811602)	मकान नंबर 25 के संपत्ति भाग के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्रफल 74 वर्ग गज है जो घरौंदा, वार्ड नं. 13 में, नगर निगम की सीमाओं के अंदर, तहसील घरौंदा, जिला करनाल में स्थित है तथा संपत्ति की सीमा इस प्रकार है– पूर्वः 26' गली, पश्चिमः 26.3' चरणजीत का घर, उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः 25' मदन लाल। अधिग्रहण की तिथि : 24 जून 2024	**रु. 30,13,945/– (रुपये तीस लाख तेरह हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र) 24 फरवरी 2024 के अनुसार**

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : करनाल, दिनांक : 26–06–2024 **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर-टैक पार्क, 10वाँ तल, निर्लोन कॉम्पलैक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगाँव ईस्ट- मुंबई-400063
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-**110001**

मांग सूचना सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोल्लिखित ऋण करार के लिए कर्जदार/सह-कर्जदार / बंधककर्ता बने हैं। आपके द्वारा की गई चूकों के फलस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफासी अधिनियम) के तहत आपका ऋण खाता एनपीए वर्गीकृत किया गया है। हम आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा दिए गए पते पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 यथासंशोधित के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाओं की विषय-वस्तु है कि आपको प्रदान विविध ऋणों के भुगतान में आपने चूक की है। इसलिए, सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान और प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रकाशन सूचना देने के लिए किया गया है

ऋण खाता सं./खाता, कर्जदार (ओ), सह-कर्जदार (ओं) और जमानती (ओं) के नाम और पते	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
ऋण खाता - **ABND_LAP000000604092** **1. मेसर्स एम्पायर फर्नीचर कंपनी,** थ्रू प्रोप्राइटर, 59, एम एम रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली- 110055। **इसके अलावा** जे-4, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110044 **इसके अलावा-** प्लॉट नंबर ए -28, लोअर ग्राउंड फ्लोर, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110044। **इसके अलावा** - ए -33, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044। **इसके अलावा** - ए -29, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110044 **2. श्री गुरप्रीत सिंह भाटिया,** 59, एम एम रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली- 110055 **इसके अलावा** - सी- 16/2, सतबारी, अंसल फार्म। छतरपुर, नई दिल्ली: 110074, **इसके अलावा** - सी -74, प्रथम तल, आनंद निकेतन, मोती बाग गुरुद्वारा के पास, नई दिल्ली- 110021 **3. मेसर्स बीजे कॉर्पोरेशन,** प्रोपराइटर के माध्यम से, सी -74, पहली मंजिल, आनंद निकेतन, मोती बाग गुरुद्वारा के पास, नई दिल्ली- 110021। **इसके अलावा** 59, एम एम रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली- 110055 **इसके अलावा** - बी- 119, कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के सामने, कीर्ति नगर, नई दिल्ली- 110015 **4. श्रीमती सोनिया भाटिया,** सी-74, प्रथम तल, आनंद निकेतन, मोती बाग गुरुद्वारा के पास, नई दिल्ली- 110021 **इसके अलावा** 59, एम एम रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली- 110055	**19.06.2024 ------------ एनपीए तिथि 13th June 24**	**6,56,29,368/- रुपये (छह करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार तीन सौ अड़सठ रुपये केवल) 14.06.24 तक**

प्रवर्तन की जाने वाली प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण" -
"छत के अधिकारों के साथ पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल का उत्तरी भाग, संपत्ति का हिस्सा नंबर 59, मोतिया खान डंप योजना, एमएम रोड, रानी झासी रोड, दिल्ली- 110055"

आपको उपरोक्त राशि ब्याज व लागत सहित **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** को उक्त मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर्जदारों, बंधककर्ताओं और जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित सभी या किसी और अधिक प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** के पास उपलब्ध शक्तियों में शामिल है (1) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए पट्टे, बिक्री के असाइनमेंट द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित कर्जदारों / जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की शक्ति (2) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण अधिकार सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण और प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की वसूली और **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण सभी अधिकारों से और प्रत्याभूत हस्तांतरित परिसंपत्तियों के संबंध से उसी प्रकार से अधिकृत होगा जैसे हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रावधानों के अनुसार आप एतद्द्वारा उपरोक्त कोई और **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** को रेहन / बंधक प्रत्याभूत परिसंपत्ति को **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) किसी तरीके से हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध होंगे।

दिनांक : 26.06.2024, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड**

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाइट : www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्तिः 1. प्रशान्त पाण्डे- 7054013999, 2. रोहन सावंत- 98331430133, 3. प्रशान्त मोंडे- 022 - 6224 1676,

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

ऋण कोड/शाखा/कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि
ऋण कोड संख्याः 12000004844, वाराणसी (शाखा), अंजनी कुमार पांडे (कर्जदार), रंजू देवी (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 28-06-2021, रु. 1090452/-, (रुपये दस लाख नब्बे हजार चार सौ बावन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसका विस्तार इस प्रकार हैः- आराजी नंबर 433 और 435/42 मौजा हिनौली परगना मवई चंदौली चंदौली उत्तर प्रदेशः- 232101 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः अनामिका पत्नी आशीष की भूमि, दक्षिणः आराजी का हिस्सा पूर्वः अन्य की भूमि, पश्चिमः 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता	रु. 1300000/-, (रुपये तेरह लाख मात्र)	रु. 130000/-, (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)	(20-06-2024) रु.1151023/-, (रुपये ग्यारह लाख इक्यावन हजार तेईस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 25700002233, गोरखपुर (शाखा), दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव (कर्जदार), सुजीता श्रीवास्तव (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 29-10-2019, रु. 1252553/-, (रुपये बारह लाख बावन हजार पांच सौ तिरपन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसका विस्तार इस प्रकार हैः- आराजी नंबर 377, वांट नंबर 18, मौजा- हरसेवकपुर नंबर 2, टप्पा और परगना- हवेली, तहसील- सदर गोरखपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273001 पर स्थित प्लॉट सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः विक्रेता की जमीन दक्षिणः विक्रेता की जमीन पूर्वः सिंचाई विभाग की जमीन पश्चिमः 18 फीट चौड़ी सड़क	रु. 1510000/-, (रुपये पन्द्रह लाख दस हजार मात्र)	रु. 151000/-, (रुपये एक लाख इक्यावन हजार मात्र)	रु. 2189950/-, (रुपये इक्कीस लाख नवासी हजार नौ सौ पचास मात्र)
ऋण कोड संख्याः 25700002814, गोरखपुर (शाखा), प्रमोद कुमार (कर्जदार), बंदना (सह-कर्जदार)	दिनांकः 19-11-2019, रु. 1059288/-, (रुपये दस लाख उनसठ हजार दो सौ अट्ठासी मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार हैः- प्लॉट आराजी नंबर 583, वार्ड नंबर 13 मौजा- जंगल हकीम नंबर 2, तप्पा- खुटहन, परगना-हवेली, तहसील- सदर गोरखपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश - 273001 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः अन्य की भूमि दक्षिणः कुमकरण की भूमि पूर्वः रमई की भूमि पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क	रु. 1370000/-, (रुपये तेरह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 137000/-, (रुपये एक लाख सैंतीस हजार मात्र)	रु.1671974/-, (रुपये सोलह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र)
ऋण कोड संख्याः 24000002674, कानपुर (शाखा), धर्मेंद्र सिंह जादौन (कर्जदार), सज्जन सिंह (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 17-05-2021, रु. 1169117/-, (रुपये ग्यारह लाख उनहत्तर हजार एक सौ सत्रह मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार हैः- मकान संख्या 38- ए1 एनए चांदी पुरवा चांदी पुरवा गांव नौबस्ता कानपुर उत्तर प्रदेश भारत 208021 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः अन्य परिसर दक्षिणः 60 फीट सड़क पूर्वः परिसर संख्या 37 पश्चिम परिसर संख्या 39	रु. 2900000/-, (रुपये उनतीस लाख मात्र)	रु. 290000/-, (रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र)	रु.1797924/-, (रुपये सत्रह लाख सत्तानबे हजार नौ सौ चौबीस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19300041820, लखनऊ - लालबाग (शाखा), चंदन कुमार मिश्रा (कर्जदार), अनीता देवी (सह-कर्जदार)	दिनांकः 26-07-2019, रु. 1371122/-, (रुपये तेरह लाख इकहत्तर हजार एक सौ बाईस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार हैः- खसरा संख्या 1298 मिंज पर प्लॉट, ग्राम-औरंगाबाद जागीर, वार्ड- राजा बिजली पासी, तहसील- सरोजिनी नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश पिन 226020 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः विक्रेता का हिस्सा दक्षिणः वंदना सिंह का प्लॉट पूर्वः डॉ. इकबाल का बाग पश्चिमः सड़क 22 फीट चौड़ी	रु. 1700000/-, (रुपये सत्रह लाख मात्र)	रु. 170000/-, (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 2645998/-, (रुपये छब्बीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र)
ऋण कोड संख्याः 06000005120, लखनऊ (शाखा), अमित बहादुर सुनार (कर्जदार), महिमा सुनार (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 17-05-2021, रु. 1646189/-, (रुपये सोलह लाख छियालीस हजार एक सौ नवासी मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार हैः- मकान संख्या 03 खसरा संख्या 60 हरिहरपुर बिजनौर सरोजिनी हरिहरपुर के हिस्से पर बिजनौर सरोजिनी नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 सीमाएंः- उत्तरः 20 फीट चौड़ी सड़क दक्षिणः अन्य संपत्ति पूर्वः मकान नंबर-02 पश्चिमः अन्य भूमि	रु. 1870000/-, (रुपये अठारह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 187000/-, (रुपये एक लाख सत्तासी हजार मात्र)	रु. 2388622/-, (रुपये तेईस लाख अट्ठासी हजार छह सौ बाईस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19300041856, लखनऊ - लालबाग (शाखा), नीतू शुक्ला (कर्जदार), शैलेन्द्र कुमार (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 27-12-2018, रु. 3259157/-, (रुपये बत्तीस लाख उनसठ हजार एक सौ सत्तावन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा हैः- प्लॉट नंबर 153 खसरा नंबर 218 गांव लोनापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश पिन 226020 सीमाएंः- उत्तरः 25 फीट सड़क दक्षिणः प्लॉट नंबर 152 पूर्वः 25 फीट सड़क पश्चिमः प्लॉट नंबर 154	रु. 3590000/-, (रुपये पैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 359000/-, (रुपये तीन लाख उनसठ हजार मात्र)	रु. 5348180/-, (रुपये तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ अस्सी मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 02-08-2024, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 01-08-2024, शाम 4.00 बजे तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस

उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 26-06-2024, **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)**
स्थानः उ.प्र./उत्तराखंड **(अरण्या-ट्रस्ट)**

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाइट : www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्तिः 1. **निक्की कुमार-** 9650606340, 2. **रोहन सावंत-** 98331430133, 3. **प्रशान्त मोंडे-** 022 - 6224 1676,

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

ऋण कोड/शाखा/कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (20.06.2024)
ऋण कोड नं.: 19800041748, दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा), माला (कर्जदार), सतीश कुमार (सह-कर्जदार 1) अमीत कुमार (गारंटर 1)	दिनांकः 26-07-2019, रु. 2167692/-, (रुपये इक्कीस लाख सड़सठ हजार छह सौ बानवे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार हैः- प्लॉट नंबर-689, दूसरी मंजिल, पीछे के आरएचएस, शक्ति खंड-III, आवासीय कॉलोनी, शक्ति खंड-III, आवासीय कॉलोनी, इंदिरापुरम, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201014 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः प्लॉट नंबर-688/अन्य फ्लैट दक्षिणः प्लॉट नंबर-690 पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः सड़क/प्रवेश	रु. 2228000/-, (रुपये बाईस लाख अट्ठाईस हजार मात्र)	रु. 222800/-, (रुपये दो लाख बाईस हजार आठ सौ मात्र)	रु. 3956457/-, (रुपये उनतीस लाख छप्पन हजार चार सौ सत्तावन मात्र)
ऋण कोड नं.: 27900001625, ग्रेटर नोएडा (शाखा), पुनीत बंसल (कर्जदार), निर्मला देवी (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 28-06-2021, रु. 1015465/-, (रुपये दस लाख पंद्रह हजार चार सौ पैंसठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार हैः- फ्लैट नंबर एसएफ-403, प्लॉट नंबर 4, ब्लॉक-सी-8, दूसरी मंजिल पीछे के आरएचएस छत के अधिकारों के साथ डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201102 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः सड़क 09 मीटर दक्षिणः प्लॉट नंबर सी-9/3 पूर्वः प्लॉट नंबर सी-8/5 पश्चिम प्लॉट नंबर सी-8/3	रु. 1350000/-, (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 135000/-, (रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र)	रु. 1454443/-, (रुपये चौदह लाख चौवन हजार चार सौ तैंतालीस मात्र)
ऋण कोड नं.: 19000001405, राज नगर (शाखा), प्रकाश कुमार मिश्रा (कर्जदार), प्रीति मिश्रा (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 20-07-2018, रु. 1486482/-, (रुपये चौदह लाख छियासी हजार चार सौ बयासी मात्र)	प्लॉट नं.- 7, एसएफ बिना छत के आरएचएस साइड खसरा नं.- 1579 का फ्लैट हिस्सा, कैलाश पुरम-2 कैलाश पुरम-2 पीपल वाली गली के पास, गांव डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश पिन 201014 सीमाएंः- उत्तरः प्लॉट नं.-6 दक्षिणः प्लॉट नं.-8 पूर्वः सड़क 20 फीट चौड़ी पश्चिमः अन्य संपत्ति	रु. 1410000/-, (रुपये चौदह लाख दस हजार मात्र)	रु. 141000/-, (रुपये एक लाख इकतालीस हजार मात्र)	रु. 2437810/-, (रुपये चौबीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ दस मात्र)
ऋण कोड नं.: 20000042745, नोएडा - सेक्टर 2 (शाखा), अखिलेश कुमार पांडे (कर्जदार), बिभा पांडे (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 24-05-2021, रु. 1697972/-, (रुपये सोलह लाख सत्तानबे हजार नौ सौ बहत्तर मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा हैः- प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 76, एनए सुदामा पुरी कॉलोनी, सुदामा पुरी कॉलोनी, कृष्ण वाटिका गांव, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201206 सीमाएं जैसेः- उत्तरः उ.पू.-अन्य संपत्ति दक्षिणः द.प.-अन्य संपत्ति पूर्वः द.पू. - सड़क पश्चिमः सड़क	रु. 1477000/-, (रुपये चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र)	रु. 147700/-, (रुपये एक लाख सैंतालीस हजार सात सौ मात्र)	रु. 2507973/-, (रुपये पच्चीस लाख सात हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)
ऋण कोड नं.: 26600001154, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), राजेंद्र कुमार (कर्जदार), प्रीति खन्ना (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 26-09-2019, रु. 1588763/-, (रुपये पंद्रह लाख अट्ठासी हजार सात सौ तिरसठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा हैः- सम्पत्ति नं.-48-बी, दूसरी मंजिल, खसरा नं.-28/2, एनए गली नं.-4, राधेश्याम पार्क, गांव-खुरेजी गली नं.-4, राधेश्याम पार्क, ग्राम-खुरेजी खास, राधा किशन मंदिर के पास, डिफॉल्ट दिल्ली क्ठ 110051 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः गली 10 फीट दक्षिणः प्लॉट नं.-48 का हिस्सा पूर्वः प्लॉट नं.-49 पश्चिमः प्लॉट नं.-47	रु. 1651000/-, (रुपये सोलह लाख इक्यावन हजार मात्र)	रु. 165100/-, (रुपये एक लाख पैंसठ हजार एक सौ मात्र)	रु. 1938914/-, (रुपये उन्नीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ चौदह मात्र)
ऋण कोड संख्याः 25600001104, कड़कड़डूमा नोएडा (शाखा), नदीम अहमद (कर्जदार), अंसार एन (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 16-06-2020, रु. 1075518/-, (रुपये दस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ अठारह मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग जिसका विस्तार हैः- फ्लैट नं.-5/133बी, दूसरी मंजिल, ईडब्ल्यूएस फ्लैट एनए सेक्टर-5, कामना अपार्टमेंट, सेक्टर-5, वैशाली, डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश 201010 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः सड़क 12 फीट चौड़ी दक्षिणः फ्लैट नं.-134-बी, पूर्वः सड़क 15 फीट चौड़ी पश्चिमः फ्लैट नं.-132-बी	रु. 1224000/-, (रुपये बारह लाख चौबीस हजार मात्र)	रु. 122400/-, (रुपये एक लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)	रु. 1071505/-, (रुपये दस लाख इकहत्तर हजार पांच सौ पांच मात्र)
ऋण कोड संख्याः 07700001931, गाजियाबाद (शाखा), मनोज झा (कर्जदार), आशा देवी (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 14-06-2021, रु. 1923953/-, (रुपये उन्नीस लाख तेईस हजार नौ सौ तिरपन मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग जिसका विस्तार हैः- प्लॉट नं. 128, पहली मंजिल, खसरा नं.-1526 बलगी एन्क्लेव, रईसपुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201002 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः प्लॉट नंबर-129 दक्षिणः प्लॉट नंबर-127 पूर्वः सड़क 20 फीट चौड़ी पश्चिमः अन्य संपत्ति	रु. 1810000/-, (रुपये अठारह लाख दस हजार मात्र)	रु. 181000/-, (रुपये एक लाख इक्यासी हजार मात्र)	रु. 2691209/-, (रुपये छब्बीस लाख इक्यानबे हजार दो सौ नौ मात्र)
ऋण कोड संख्याः 27900001320, ग्रेटर नोएडा (शाखा), सुरेश सिंह (कर्जदार), सौरभ सिंह (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 23-04-2019, रु. 2957020/-, (रुपये उनतीस लाख सत्तावन हजार बीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा हैः- फ्लैट नंबर एसएफ-01 दूसरी मंजिल सामने की तरफ बाईं ओर छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नंबर का 391 सेक्टर-12 प्रताप विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201009 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः प्लॉट नंबर- का-390 दक्षिणः सड़क 30 फीट चौड़ी पूर्वः सड़क 40 फीट चौड़ी पश्चिम प्लॉट नंबर- केए-392	रु. 1290000/-, (रुपये बारह लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 129000/-, (रुपये एक लाख उनतीस हजार मात्र)	रु. 4978982/-, (रुपये उनचास लाख अठहत्तर हजार नौ सौ बयासी मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19000001855, राज नगर (शाखा), नितिन नानक वैद्य (कर्जदार), बक्शो वैद्य (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 21-06-2022, रु. 1119640/-, (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार छह सौ चालीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा हैः- फ्लैट नंबर-एसएफ-2, दूसरी मंजिल पीछे दाईं ओर एनए प्लॉट नंबर-8/1 खसरा नंबर-157 कैलाश पुरम, प्लॉट नंबर-8/1 खसरा नंबर-157 कैलाश पुरम, रईसपुर, गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201002 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः प्रवेश/अन्य संपत्ति पूर्वः फ्लैट नं.-एफएफ-1/ सड़क पश्चिमः अन्य संपत्ति	रु. 1100000/-, (रुपये ग्यारह लाख मात्र)	रु. 110000/-, (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)	रु. 1465785/-, (रुपये चौदह लाख पैंसठ हजार सात सौ पिचासी मात्र)
ऋण कोड संख्याः 14600000959, मेरठ (शाखा), विकास यादव (कर्जदार), तारू यादव (सह कर्जदार 1)	दिनांकः 08-10-2021, रु. 1516812/-, (रुपये पन्द्रह लाख सोलह हजार आठ सौ बारह मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा हैः- ख.नं.48 खटखाना मोहल्ला एनए न्यू मीनाक्षी पुरम के पीछे खटखाना चौराहा के पास गांव कसेरू बक्सर डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश भारत 250001 सीमाएंः- उत्तरः ममता पत्नी श्री मनोहर का घर दक्षिणः श्री विजय सोनकर का घर पूर्वः 12- 0" फीट चौड़ी सड़क पश्चिमः श्रीमती गीता चौहान पत्नी श्री जना का घर	रु. 2010000/-, (रुपये बीस लाख दस हजार मात्र)	रु. 201000/-, (रुपये दो लाख एक हजार मात्र)	रु. 2127093/-, (रुपये इक्कीस लाख सत्ताईस हजार तिरानबे मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 02-08-2024, **प्रातः** 11.00 **बजे से अपराह्न** 2.00 **बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)**
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 01-08-2024, **शाम** 4.00 **बजे तक।**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale** या **https://www.bankauction.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस

उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 26-06-2024, **स्थानः** दिल्ली **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्या-ट्रस्ट)**